न्यायालय – विशिष्ठ न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण,
(अपर सैशन न्यायालय क्रम–2) जयपुर जिला, जयपुर

छोटूराम बनाम सरकार

अंतिम प्रतिवेदन संख्या 119/2017 (82/2023)एन.सी.वी. नंबर 976/2022

सीएनआर नम्बरः– RJJD01-003631-2022

तारीख	पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर सहित आदेश	आदेश की अनुपालना का संक्षिप्त नोट
29.07.2026	अपर लोक अभियोजक उपस्थित। प्रथम सूचनाकर्ता/पीड़ित अनुपस्थित। उसके अधिवक्ता भी उपस्थित नहीं है। अतः प्रकरण का निस्तारण गत आदेश की पालना में गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रथमसूचनाकर्ता/पीड़ित छोटूराम ने हस्तगत मुकदमा संख्या 166/2015 इस आशय की दर्ज करवाई कि प्रथमसूचनाकर्ता/पीड़ित कि ग्राम बालापुरा, पटवार हल्का गोपालनगर, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 2476 लगायत 2482, कुल रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा में प्रथमसूचनाकर्ता का 1/4 हिस्सा है, जो राजस्व रिकॉर्ड में उसके स्वर्गीय पिता मोडू पुत्र घ ाासी के नाम दर्ज है। पिता के देहांत के बाद प्रथमसूचनाकर्ता अपने हिस्से की इस भूमि पर शांतिपूर्वक काश्त करता आ रहा है। आरोपीगण संख्या 2 से 6 के पिता सुखदेव और प्रथमसूचनाकर्ता के पिता के बीच अच्छे संबंध होने के कारण वे इस भूमि को बटाई पर काश्त करते थे, और उनके निधन के बाद भी यह भूमि वही लोग बटाई पर जोतते रहे, जिससे वे परिवार के विश्वासपात्र बन गए थे। जब प्रथमसूचनाकर्ता और उसके भाई–बहन उप–पंजीयक कार्यालय फागी में विरासत का नामान्तरण खुलवाने और हकत्याग पत्र पंजीकृत कराने गए, तो विश्वासपात्र होने के नाते ये आरोपीगण भी वहाँ उपस्थित थे। इसी अवसर का फायदा उठाकर आरोपीगण ने आरोपी संख्या 1 के साथ मिलकर एक आपराधिक षडयंत्र	

	रचा और विरासत का नामान्तरण खुलवाने के बहाने प्रथमसूचनाकर्ता व उसके परिवार से एक खाली स्टांप पेपर और 4–5 ग्रीन पेपरों पर धोखे से हस्ताक्षर करवा लिए, जिसकी जानकारी प्रथमसूचनाकर्ता को लंबे समय तक नहीं हुई। इसके बाद दिनांक 24.03.2015 को आरोपी संख्या 1 की ओर से प्रथमसूचनाकर्ता को एक विधिक नोटिस मिला, जिसमें दिनांक 15.02.2006 का एक फर्जी इकरार–बेचान होना बताया गया। जब प्रथमसूचनाकर्ता ने इस बारे में विश्वासपात्र आरोपीगण से पूछताछ की, तो उन्होंने मामले को सुलझाने का आश्वासन दिया, और प्रथमसूचनाकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से नोटिस का जवाब देकर स्पष्ट कर दिया कि उसने कोई इकरारनामा नहीं किया है और न ही कोई पेशगी राशि ली है। इसके बाद दिनांक 25.04.2015 को सभी आरोपीगण प्रथमसूचनाकर्ता की भूमि पर आए और लाठी के जोर पर जबरन रास्ता निकालने लगे। जब प्रथमसूचनाकर्ता ने इसका विरोध किया, तो आरोपीगण ने उसे 'ढेड चमार' जैसे जातिसूचक शब्दों से गालियां दीं और धमकी दी कि उन्होंने वर्ष 2006 में ही खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिए थे और उसकी जमीन हड़पने के लिए यह फर्जी इकरारनामा तैयार किया है ताकि उसे जमीन से बेदखल किया जा सके। हस्तगत मुकदमें में बाद अनुसंधान अंतिम प्रतिवेदन पेश किया गया। कारण यह बताया गया कि प्रथमसूचनाकर्ता छोटू व उसके भाई पोखर, पुत्रान् स्व. श्री मोडू के नाम श्रीमति काली देवी, श्रीमति गीता देवी पुत्रियान स्व. श्री मोडू व श्रीमति धन्नी देवी पत्नि स्व. श्री मोडू ने दिनांक 14.02.2006 को खसरा न. 1539/1,2879,2880,2881,2882,2883 कुल रकबा 17 बीघा 8 बिस्वा में हिस्सा 1/4 वाके ग्राम लदाना का हकत्याग कराया जबकी विवादित भूमि खसरा नम्बर 2476 से 2482 तक रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम बालापुरा मे	

	स्थित को प्रथमसूचनाकर्ता छोटू राम व उसके परिवारजन ने दिनांक 15.02.2006 को श्री राजू लाल बैरवा निवासी पवालिया को जरिये इकरारनामा बैचान किया। राजू बैरवा द्वारा विवादित भूमि पर कॉलोनी काटने हेतु W-B-M-सडके बनाई हुई है तथा दिनांक 27.02.15 को प्रथमसूचनाकर्ता के चाचा भूरा पुत्र श्री घासी नायक ने अपने हिस्से की विवादित भूमि मे से श्री भंवर लाल, घासी रैगर निवासी गोहन्दी को बैचान कर दी। जिस पर राजू बैरवा द्वारा थाना फागी पर मुकदमा नम्बर 130/15 दर्ज कराने पर भूरा व उसके लडके सीताराम का धारा 420,406, 120बी भा.द.स. मे चालान हुआ तथा उक्त विवादित भूमि पर उपखण्ड न्यायालय फागी द्वारा दिनांक 28.04.2015 को भूमि पर कब्जा काश्त में कोई बाधा उत्पन्न नही करें। ना ही निमार्ण करे का वाद चल रहा हैं। उक्त विवादित भूमि का विवाद न्यायालय मे विचाराधीन है। अतः प्रकरण का मामला अदम वकु सिविल नेचर का पाया गया है। उक्त अंतिम प्रतिवेदन के विरूद्ध प्रथम सूचनाकर्ता की से दिनांक 23.04.2016 प्रोटेस्ट पीटिशन को पेश की गई और प्रोटेस्ट पीटिशन के समर्थन में गवाह सी0ड0 1 छोटूराम, सी0ड0 2 हनुमान शरण, सी0ड0 3 रामचन्द्र यादव, सी0ड0 4 घासीराम, सी0ड0 5 काली देवी, सी0ड0 6 पोखर, सी0ड0 7 सत्यनारायण को पेश कर परीक्षित करवाया है। न्यायालय का मत इस प्रकार है कि प्रथमसूचनाकर्ता/पीड़ित ने जो मूल परिवाद दिनांक 30. 04.2015 को पेश किया था, उसमें उसने खसरा संख्या 2476 लगायत 2482 ग्राम बालापुरा पटवार हल्का गोपालनगर, तहसील फागी में अपना 1/4 हिस्सा बताया। उसने नामित आरोपीगण पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने प्रथमसूचनाकर्ता और उसके परिवार वालो से खाली स्टाम्प पेपर और चार–पांच कागजों पर हस्ताक्षर	

	करवा लिए और एक इकरारनामा दिनांक 15.02.2006 का कूटरचित कर तैयार करवा लिया। इस प्रकार देखा जाए तो परिवार से ही पीड़ित प्रथमसूचनाकर्ता का मामला 15. 02.2006 के इकरारनामे को धोखे से कराया जाना का रहा है। परिवाद में प्रथमसूचनाकर्ता ने यह जाहिर किया था कि आरोपीगण ने प्रथमसूचनाकर्ता व उसके परिवारजन को हक त्याग कराने के बहाने लाकर इकरारनामा करवा लिया है। जबकि पत्रावली दिनांक 14.02.2006 का निष्पादित हक त्याग पत्र मौजूद है। सम्पूर्ण परिवाद में परिवादी ने उसके साथ मारपीट किए जाने का कोई तथ्य जाहिर नहीं किया था। न्यायालय के समक्ष उसने और गवाहान अपने सशपथ बयान में छोटूराम के साथ गाली–गलौच किए जाने और मारपीट किए जाने का तथ्य जाहिर किया है परन्तु कोई चोट प्रतिवेदन समर्थन में पेश नहीं किया गया है। प्रथमसूचनाकर्ता छोटूराम ने परिवाद में नामित आरोपीगण के विरूद्ध न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फागी के समक्ष उपरोक्त कृषि भूमि बाबत् निषधाज्ञा का वाद भी प्रस्तुत कर रखा है। प्रथमसूचनाकर्ता की जो पीड़ा है उसके लिए वह सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर उपरोक्त इकरारनामा को चुनौती दे सकता था। उसने राजस्व कार्यवाही अमल में भी लाई है। इससे अधिक किसी प्रकार का कोई आपराधिक प्रकृति का मामला न्यायालय आरोपीगण के विरूद्ध बनना नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में अंतिम प्रतिवेदन को अस्वीकार करने का कोई आधार न्यायालय के समक्ष मौजूद नहीं है। अतः हस्तगत मुकदमा संख्या 166/2015 पुलिस थाना फागी द्वारा प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन संख्या 119/2015 स्वीकार किया जाता है। केस डायरी लौटायी जावे। पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।	